कार्यालयः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

ई–मेलः–dfo-chaibasa@gov.in

पत्रांक– 1471 दिनांक– 12/6/19

सेवा में,

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

विषयः– झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, चाईबासा द्वारा उलीझारी–चाईबासा से गुवा तक ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 655 दिनांक 11.04.2019 एवं कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमण्डल, चाईबासा का पत्रांक 275EEE, TD, CBSA dt. 11-06-2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि आपके प्रासंगिक पत्र के द्वारा पृच्छा की गई बिन्दूओं से संबंधित सूचना निम्नवत् हैः–

1. निदेशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NIC नई दिल्ली के माध्यम से इस प्रमण्डल हेतु पूर्व समर्पित प्रस्ताव का क्षेत्रफल 42.148 हे० का संशोधित क्षेत्रफल 42.133 हे० सुधार कर प्रविष्टि Part I में अंकित कर दिया गया है। फलस्वरूप विषयांकित परियोजना प्रस्ताव का कुल रकवा 51.266 हे० के जगह 51.251 हे० प्रदर्शित हो रहा है।
2. निदशानुसार प्रस्ताव के छुटे हुये पृष्ट पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
3. निदेशानुसार क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित 103 हे० अवकृष्ट वन भूमि का जाँच पुनः किया गया है। यह वनरोपण हेतु उपयुक्त है।
4. जिले से संबंधित मूलभूत सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1165 दिनांक 07.05.2019 द्वारा आपको समर्पित कर दी गई है।

प्रयोक्ता अभिकरण के पत्राक 275 दिनांक 11.6.2019 द्वारा वांछित संशोधन करते हुये आज दिनांक 12.06.2019 को संशोधित प्रस्ताव Part I पुनः Online इस कार्यालय को अग्रसारित की गई है। उक्त के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा भरे जाने वाले Part II में अंशिक संशोधन करते हुये इस कार्यालय का पत्रांक 896 दिनांक 23.03.2019 के कम में पुनः Online अग्रसारित की जा रही है।

अनुलग्नकः– प्रस्ताव सात सेट।

आपका विश्वासी
Kumar 12/06/19
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

3rd246